



आदेश कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता पूर्णियाँ सिलिंग अपील वाद संख्या-22/2010 धारा 16(3) अन्तर्गत</p> <p>दीना नाथ सिंह, पिता-स्व० रामचन्द्र सिंह सा०-राजघाट गरैल टोला-संझाघाट, थाना-धमदाहा, जिला- पूर्णियाँ -----आवेदक</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. सुरेन्द्र कुंवर दोनों के पिता-स्व० अमीर कुंवर 2. देवेन्द्र कुंवर सा०-राजघाट गरैल टोला-संझाघाट, थाना-धमदाहा, जिला- पूर्णियाँ -----प्रतिवादी सं०-01</p> <p>3. (a) मसो० उर्मिला देवी, पति-स्व० सुदिष्ट कुंवर (b) विजय कुमार, पिता-स्व० सुदिष्ट कुंवर सा०-राजघाट गरैल, थाना-मीरगंज(धमदाहा), जिला- पूर्णियाँ -----प्रतिवादी सं०-02</p> <p>4. भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा -----प्रतिवादी सं०-03</p> <p>आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा द्वारा सिलिंग वाद सं० 03/ 2008-09 धारा- 16 (3)(i) अन्तर्गत में दिनांक-31.03.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक का कथन है कि प्रतिवादी सं० 1 एवं प्रतिवादी सं० 2 के पति स्व० सुदिष्ट कुंवर सहोदर भाई हैं। प्रतिवादी सं० 2 के पति स्व० सुदिष्ट कुंवर मौजा-राजघाट गरैल, खाता सं० 840, खेसरा सं० 1272(P), रकवा 0.04½ डि० तथा खाता सं० 841, खेसरा सं० 1273(P), रकवा 12 डि० जमीन आवेदक के पास 55,000.00(पचपन हजार) रू० में दिनांक-09.05.2008 को निबंधित केवाला द्वारा बेच दिया और इसकी जानकारी प्रतिवादी सं० 1 को भी थी। प्रश्नगत जमीन मकानमय सहन था और आवेदक घर बनाने के उद्देश्य से जमीन को समतल करवाया। दिनांक-04.05.2010 को प्रतिवादी सं० 1 आवेदक से एक लाख दस हजार रू० तथा दो हजार अलग से खर्च के लिए मांगा। प्रतिवादी सं० 1 ने आवेदक से कहा कि पूर्व क्रय अधिकार के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय द्वारा मेरे पक्ष में निबंधन कराने का आदेश दिया गया है। आवेदक का कथन है कि दोनों पक्षों का घर एक ही जगह है। फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा यह कहा जाना कि सूचना का तामिल नहीं हुआ, युक्तिसंगत नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा केवाला का अवलोकन अच्छी तरह नहीं किया गया। केवाला में जमीन के विवरण में स्पष्ट अंकित है कि वर्णित भूमि मकानमय सहन है और खाली है। उल्लेखनीय है कि भूहदबंदी की धारा 16(3) केवल कृषि योग्य भूमि पर लागू होती है। प्रतिवादी संख्या-1 पूर्व क्रय के आधार पर वाद प्रारम्भ किया और वाद के सुनवाई के समय ही उन लोगों ने अपने हिस्से की जमीन खेसरा संख्या-1268, 1269 एवं 1270 कुल रकवा-87 डिसमिल बेच दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 गलत एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर वाद प्रारम्भ किया था और निम्न न्यायालय द्वारा भी नियम के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से न्याय करने का अनुरोध करता है।</p>	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>प्रतिवादी संख्या-2 का कथन है कि प्रश्नगत जमीन बहुत पूर्व से ही मकानमय सहन है और आवेदक जमीन खरीदने के बाद से उसपर दखलकार है। यह जमीन कृषि कार्य के लिये कभी उपयोग में नहीं लाया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या-2 इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक के पक्ष में निष्पादित केवाला को वैध घोषित करने की कृपा की जाय।</p> <p>प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रत्युत्तर अप्राप्त है।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई की गयी। आवेदक का कथन है कि विपक्षी के द्वारा Home stead के प्रयोग हेतु वास्तविक जमीन खरीदा गया। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर नजर अन्दाज करते हुए आवेदन खारिज किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कथन गलत है। विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं आदेश पारित किया गया, जो न्याय संगत है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	